



हर घर जल
जल जीवन मिशन
मिलकर करें काम
बनाएं जीवन आसान



जल जीवन संवाद

अप्रैल, 2021

इस अंक में

अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक की कलम से	1
---	---

जेजेएम प्रगति

प्रगतिशील कवरेज- कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी)	3
राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) कवरेज स्थिति	3
ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति की स्थिति	4
कार्य जो किये जाने हैं	5

रोडमैप

2021-22 के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना प्रगति	6
---	---

...और एक पहल

जे.जे.एम के अंतर्गत क्षमता निर्माण संस्थानों को प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में सूचीबद्ध	8
फील्ड टेस्ट किट प्रशिक्षण. - रचना गेहलोत बिष्ट, एनजेजेएम	9
स्मार्ट जलापूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली के विकास हेतु ग्रैंड चैलेंज	11

अंतर्दृष्टि और विचार

जल जीवन मिशन महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहा है और उनके जीवन में बदलाव ला रहा है	12
- विनोद मिश्रा, प्रमुख, वाश कार्यक्रम, भारत (यूएनओपीएस)	
जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण: ग्रामीण समुदायों की भूमिका	13
- सुमित प्रियदर्शी, सहायक सलाहकार, पी.एच.ई.डी, डी.डी.डब्ल्यू.एस.	

बातचीत

- श्री विकास लबरू, सचिव, हिमाचल प्रदेश	15
--	----

प्रेरक कहानियां

जल जीवन मिशन, जिंदगियाँ बदल रहा है.	17
- श्री आर.आर. रावल, जिला कलेक्टर, वलसाड, गुजरात	

केस स्टडी

मालदा के स्कूलों और आंगनवाड़ियों में जल गुणवत्ता जागरूकता अभियान	18
- प्रज्ञान भारती और अन्वेष्टा दत्ता, यूनिसेफ-पश्चिम बंगाल	
जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का सत्यापन और समुदाय द्वारा निगरानी	19
- नागेश पाटीदार और पंकज माथुर, यूनिसेफ फील्ड ऑफिस, मध्य प्रदेश	

क्षेत्रों से कार्य

प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ

यूएनओपीएस द्वारा फील्ड स्तर के कर्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश में 6-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	22
जल जीवन मिशन: एक सामाजिक क्रांति की ओर	23


अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक की कलम से...



नई दिल्ली
29 अप्रैल, 2021

भारत में एक बार फिर कोविड के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में बचाव का एकमात्र तरीका मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, घर पर रहना और सुरक्षित रहना ही है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन हर व्यक्ति और उसके प्रियजनों की आने वाले समय में स्वस्थ रहने की कामना करता है। एक दूसरे की मदद से मिल कर इस वायरस को हराना है।

जल जीवन मिशन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए - एक महान और जीवन को बदलने वाला मिशन सिद्ध हो रहा है। यह मिशन हमारे गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। इसका असर खासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन में हर जगह महसूस किया जा रहा है। यह लोगों का आंदोलन - जन आंदोलन बन रहा है, जिसमें विभिन्न हितधारकों ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के साथ हाथ मिलाया है।



माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त, 2019 को मिशन की घोषणा और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 25 दिसम्बर, 2019 को कार्यसंबंधी मार्गनिर्देशों के जारी किए जाने के बाद से कोविड -19 महामारी के बावजूद, 2020-21 के अंत तक, लगभग 4.08 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी के नए कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, अब नल से जल आपूर्ति लगभग 7.30 करोड़ ग्रामीण घरों तक यानी देश के 38% से अधिक ग्रामीण घरों में पहुँच रही है। यह सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की कठिन समय में भी 'गति और पैमाने' संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वास्तव में, यह संतुष्टि की बात है, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, हम सभी 2020-21 में अनुकरणीय कार्य करने के लिए लोगों को जुटाने में सफल रहे हैं।

गोवा, तेलंगाना और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के हर ग्रामीण घर में नल का साफ पानी मिलना शुरू हो गया है। जल जीवन मिशन का कार्य अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में भी पूरे जोर से चल रहा है। इसके लिए वे एक-दूसरे के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ताकि वे दूसरे प्रदेशों/ आंचलों से आगे निकल सकें। क्षेत्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन करने वाली टीमों ने मूल भावना को आत्मसात किया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाइपगत जलापूर्ति प्रणाली से गांव में 'कोई भी वंचित न रहे'। परिणामस्वरूप, 58 जिलों, 713 ब्लॉक और लगभग 87 हजार गांवों में सभी घरों में नियमित रूप से पीने योग्य नल जल की आश्वासित आपूर्ति शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतों, आईएसए, स्वयं सहायता समूह, यूनिसेफ और इन जैसे अन्य भागीदारों के साथ मिलकर क्षेत्र में काम करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग टीमों बधाई के पात्र हैं।

हमने मिशन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया है। जेजेएम के लिए बजटीय आवंटन में 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपये करके अत्यधिक वृद्धि की गई है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा हर घर में सुरक्षित पेयजल की बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है। इस विशाल आवंटन के साथ, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धन के प्रभावी उपयोग के लिए उचित व्यय योजना के साथ पाइपगत नल से जल (एफएचटीसी) के प्रावधान के लिए एक यथार्थवादी योजना बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सहायता गतिविधियों के साथ-साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्य प्राप्ति की योजना पर विचार-विमर्श करने और अंतिम रूप देने के लिए 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ने अपनी वार्षिक कार्य योजना (2021-22) तैयार की है, जो अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तुत की जा रही है और उस पर राष्ट्रीय समिति द्वारा मंथन किया जा रहा है।

सरकार ने जल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता के साथ ही, 15वें वित्त आयोग ने पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण तथा स्वच्छता एवं देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए स्वयं के कार्य को केंद्रित किया है और यह स्थिति को बनाए रखने के लिए 2021-22 में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) हेतु 26,940 करोड़ रुपये के अनुदानों का 60% आवंटन किया गया है। यह सभी के लिए पर्याप्त पानी की दिशा में चल रहे प्रयासों में अनुपूर्ति करेगा। हमें विभिन्न गतिविधियों जैसे कि वर्षा जल संचयन, पेयजल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण, जल आपूर्ति में सुधार, ग्रे-जल प्रबंधन और नियमित संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देकर ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा इस अनुदान के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सभी प्रयास करने होंगे।

एनजेजेएम ने एक विशाल क्षमता निर्माण का कार्य शुरू किया है। 126 प्रमुख संसाधन केंद्रों (केआरसी) की पहचान की गई है और वे ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए अपने वार्षिक कैलेंडर तैयार करने जा रहे हैं।

इसी तरह, लगभग 180 प्रतिष्ठित संगठनों का क्षेत्र पैरामीटर के रूप में चयन किया गया है ताकि जल जीवन मिशन – हर घर जल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संसाधनों को जुटाने और प्रयास करने के लिए एनजेजेएम तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्य कर सकें।

जब राष्ट्र कोविड-19 महामारी के बाद के प्रभावों से उबर रहा था, तो हम बीते कुछ दिनों में कोविड मामलों में अचानक वृद्धि देख रहे हैं, जिसने पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है, लोगों के जीवन को खतरे में डाला है, सामान्य स्थिति आदि को प्रभावित किया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में, बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों और इसी समय में, घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने के पानी का प्रावधान सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि महिलाओं और युवा लड़कियों को परिवार के लिए पानी लाने दूर बाहर न जाना पड़े और सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट पर भीड़ से बचा जा सके।


महामारी के बीच पिछले साल के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों/ ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों ने सराहनीय कार्य किए हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को आशा है कि सभी एहतियाती कदम उठाते हुए मौजूदा स्थिति में अच्छे कार्य किया जाना जारी रहेगा। यह पीएचई/ आरडब्ल्यूएस विभागों को सार्वजनिक सेवा विभागों के रूप में 'सेवा सुपुर्दगी' पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पानी के संकट से ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सभी संसाधनों का उपयोग और प्रयास करने चाहिए, ताकि लोगों को विशेष रूप से महिलाओं को अपने परिवारों के लिए पानी लाने के लिए संघर्ष न करना पड़े।

एनजेजेएम आशा करता है कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, पीआरआई, आईएसए, सेक्टर भागीदार, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, केआरसी और अन्य हितधारक अब तक किए जा रहे अच्छे कार्यों को जारी रखेंगे और 2021-22 में अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे ताकि 'हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध गतिविधियों को पूरा किया जा सके।


[भरत लाल]

अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

प्रगतिशील कवरेज- कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) (दिनांक 29.04.2021 की स्थिति के अनुसार)



राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) कवरेज स्थिति (दिनांक 29.04.2021 की स्थिति के अनुसार)



29 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार

India | Status of tap water supply in rural homes

Total number of households (HHs)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Households with tap water connections as on date
19,19,63,738	3,23,62,838 (16.86%)	7,31,92,133 (38.13%)
Households provided with tap water connection since launch of the Mission		
4,08,29,295 (21.27%)		


Har Ghar Jal [100 % HHs with tap water connections]

100 % FHTC States/ UTs			
Goa, Telangana, A & N Islands			
100 % FHTC Districts	100 % FHTC Blocks	100 % FHTC Panchayats	100 % FHTC Villages
58	713	44,618	87,530

स्रोत: JJM-IMIS


15 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार

29 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार




कार्य जो किये जाने है

(नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या)



कार्य जो किये जाने है

(नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या)



2021-22 के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना प्रगति

जल जीवन मिशन के तहत, हर साल वार्षिक कार्य योजना (एएपी) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और नीति आयोग के सदस्यों के साथ सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ, प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और इसे अंतिम रूप दिया जाता है, जो 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। 2021-22 के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एएपी बैठक 9 अप्रैल 2021 को शुरू हो गई और मई के प्रथम सप्ताह तक पूरी हो जाएगी।

चूंकि जल जीवन मिशन - हर घर जल 2021-22 में 50,011 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान के साथ कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है, अतः राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 09 अप्रैल 2021 से वार्षिक योजना तैयार करने का कार्य कर रहा है। यह महीने भर लंबी कवायद, प्रतिदिन दो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा करके, सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की अंतिम रूप देने से पहले विस्तृत जांच की जाती है। इसके बाद, जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे वर्ष निधियां जारी की जाती हैं और नियमित रूप से क्षेत्र के दौरे किए जाते हैं तथा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू होते ही, 09 अप्रैल से वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत संयुक्त समीक्षा की कवायद शुरू हो गई है। यह वर्ष जेजेएम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें विस्तृत डेटा विश्लेषण, पिछले दो साल की प्रगति के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य निष्पादित करने की क्षमता, उनकी तैयारियों आदि पर आधारित गहन योजना की आवश्यकता है। कार्यान्वयन के समय, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को समयबद्ध तरीके से सभी

घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा-ग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांवों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की अधिकांशता वाले गांवों, 61 जेई-एईएस प्रभावित और 117 आकांक्षात्मक जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों को प्राथमिकता दी जानी है।

जेजेएम के लिए 50,011 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के अतिरिक्त, जल एवं स्वच्छता के लिए आरएलबी/ पीआरआई हेतु 15वें वित्त आयोग के निर्धारित अनुदानों के अंतर्गत 26,940 करोड़ रुपये की आश्वासित निधि, राज्य के समतुल्य हिस्से और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार, 2021-22 में, ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में 01 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना है। हर घर जल हासिल करने के लिए इस तरह का निवेश तीन साल तक जारी रहने की संभावना है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कार्य योजना राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 100% परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने और समग्र पेयजल सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। यह मास्टर प्लान है जिसमें जमीनी स्तर पर कार्य आरंभ करने और पूरा करने तथा कार्यप्रणाली चालू करने के लिए समय-सीमाओं के साथ लक्ष्य हासिल करने हेतु फेरबदल



करके दुरुस्त की जाने वाली योजनाओं/ नई योजनाओं की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह अभिसरण के स्रोतों की भी पहचान करेगा, राज्य संचालन एवं रखरखाव नीति को सुदृढ़ करेगा, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)/ व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियों, जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों, आदि को तेज करेगा।

एएपी (2021-22) में आगे ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/ पानी समितियों को सशक्त बनाने जैसी सहायक गतिविधियों, ग्राम कार्य योजना (वीएपी) की तैयारी और अनुमोदन पर जोर दिया जाता है जिसमें पेयजल स्रोत के सुदृढ़ीकरण/ संवर्द्धन, जलापूर्ति अवसंरचना, ग्रे जल शोधन और पुनःउपयोग तथा गांव अवस्थित

जलापूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के घटक होंगे। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से हर गांव में पानी की गुणवत्ता निगरानी और स्थानीय समुदाय के सदस्यों जैसे कि राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में 05 व्यक्तियों के लिए गहन प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों की योजना बनानी है।

अभी तक, 20 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने समिति के समक्ष अपना एएपी प्रस्तुत किया है। लद्दाख ऐसा पहला राज्य था जिसने 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल एचएच (लाख में)	2020-21 में प्रदान किए गए एफएचटीसी (लाख में)	एफएचटीसी कवरेज (लाख में)	लक्ष्य प्राप्ति वर्ष
लद्दाख	0.44	0.02	0.04 (8.53%)	2022
त्रिपुरा	8.01	1.42	2.14 (26.73%)	2022
सिक्किम	1.05	0.10	0.81 (76.78%)	2022
जम्मू व कश्मीर	18.16	2.15	9.99 (55.04%)	2022
हरियाणा	31.03	7.89	26.93 (86.80%)	2022
ओडिशा	85.67	15.46	23.26 (27.15%)	2024
नागालैंड	3.86	0.475	0.66 (17.1%)	2023
मध्य प्रदेश	123.05	19.89	37.69 (30.60%)	2023
कर्नाटक	91.19	3.43	28.15 (31.20%)	2023
पंजाब	34.73	8.31	25.88 (74.53%)	2022
मेघालय	5.9	0.87	0.94 (15.91%)	2022
छत्तीसगढ़	45.48	1.56	5.66 (12.5%)	2023
अरुणाचल प्रदेश	2.17	0.65	1.02 (46%)	2023
मणिपुर	4.51	1.96	2.26 (50.20)	2022
महाराष्ट्र	142.36	37.15	91.08 (63.98%)	2024
राजस्थान	101.32	6.77	19.61 (19.36%)	2024
गुजरात	92.92	10.93	77.21 (83%)	2022
पश्चिम बंगाल	163.25	12.47	14.94 (9.15%)	2024
मिजोरम	1.26	0.33	0.59 (46%)	2023
गोवा	2.63	0.32	2.63 (100%)	--
पुदुचेरी	1.16	0.08	1.08 (99%)	2021
असम	63.35	4.76	6.81 (10.75%)	2024
आंध्र प्रदेश	95.66	12.97	45.09 (47%)	2024

जे.जे.एम के अंतर्गत क्षमता निर्माण संस्थानों को प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में सूचीबद्ध

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया गया। गांव जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में किया जाता है जिसका कार्य सहायक संसाधनों का पता लगाना, समुदाय को जुटाना, योजना बनाना, निष्पादन, निगरानी, जल परीक्षण, उपयोगकर्ता पानी प्रभावों का संग्रह और पानी की आपूर्ति के लिए बनाये गए बुनियादी ढांचे के प्रचालन एवं प्रबंधन करना है।

जेजेएम के दृष्टि को साकार करने के लिए, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों और जिला प्रशासन का मार्गदर्शन करना और उन्हें संवेदनशील बनाना आवश्यक है। चूंकि पानी राज्य का विषय है, इसलिए यह गांव, ग्राम पंचायत, जिले और राज्य द्वारा अलग-अलग

आपूर्ति सेवा स्तर पर प्रबंधित किया जा रहा है। दीर्घावधि में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य "भागीदारी निर्माण और जीवन परिवर्तन" है। एजेंसियों/संगठनों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से, नवंबर, 2020 में एक अभिव्यक्ति की रुचि (ईओआई) मंगाई गई थी, जिसमें इच्छुक एजेंसियों, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों/विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों से प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी) के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन मांगे गए थे।

प्रमुख संसाधन केंद्रों से कई स्तरों पर जल क्षेत्र में 'जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व' के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन की उम्मीद की जाती है। ये संस्थान पाठ्यक्रम डिजाइन करेंगे, अध्ययन सामग्री विकसित करेंगे, व्याख्यान, चर्चा, वार्तालाप,

गतिविधियों, खेल, अभ्यास के माध्यम से एंड-टू-एंड उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और क्षेत्र के दौरो का आयोजन करेंगे।

महामारी के दौरान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भौतिक प्रशिक्षण संभव नहीं हैं, इसलिए प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। यह आशा की जाती है कि केआरसी के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों के पास एक कुशल तरीके से ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा होना चाहिए जिसके जरिए नवीनतम नवाचार, उपकरण और सर्वोत्तम परिपाटियों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। स्तर 3 प्रशिक्षण संस्थान के लिए, 7 साल का अनुभव वांछित था, जबकि स्तर 1 और स्तर 2 के लिए, 3 साल के अनुभव की जरूरत है।

ईओआई के तहत आवेदन करने के लिए एजेंसियों को एक महीने का समय दिया गया था। ईओआई के तहत कई एजेंसियों ने आवेदन किया, जिनमें से कुछ आवेदन वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधीन थे, अन्य मध्य प्रबंधन स्तर और सामुदायिक स्तर के अंतर्गत। आवेदनों की जांच एक समिति द्वारा की गई है, जिसने L 1 के रूप में 10, L 2 के रूप में 29 और L 3 के रूप में 87 एजेंसियों को केआरसी पैनल में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है।



फील्ड टेस्ट किट प्रशिक्षण

■ - रचना गेहलोत बिष्ट, एनजेजेएम

पृथ्वी का 3/4वां हिस्सा पानी से ढका है जिसमें से 97% पानी खारा है और केवल 3% स्वच्छ पानी है। हम केवल 0.26% ताजे पानी का उपयोग करते हैं। स्वच्छ पानी दो स्रोतों से आता है - सतही पानी और भूजल। सतही पानी में वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण होने वाला सूक्ष्म जैविक संदूषण हो सकता है, जबकि भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, आयरन, आदि से संदूषित हो सकता है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के लिए अनिवार्य है कि वे सभी जल स्रोतों का वार्षिक रूप से परीक्षण करें; बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए दो बार और रासायनिक संदूषण के लिए एकबार।

भारत सरकार ने "लोगों के लिए प्रयोगशालाएँ" के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा राज्य, जिला और ब्लॉक जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ पहली बार जनता के लिए खोली गई हैं। लोग अब अपने पानी का परीक्षण मामूली दरों पर करवा सकते हैं। प्रयोगशालाओं में जल परीक्षण के अलावा, ग्राम पंचायतों/स्थानीय समुदायों को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के उपयोग के माध्यम से स्रोत और अंत बिंदु दोनों पर उन्हें आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार है।

मिशन के कार्य संबंधी दिशानिर्देशों में नियमित अंतराल पर जल परीक्षण करने के लिए पांच व्यक्तियों को अधिमानतः महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में, एफटीके की खरीद की जाती है और ये पंचायतों को सौंप दी जाती हैं। सरकारी मशीनरी जल परीक्षण के कार्य में लगी महिलाओं को एफटीके का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

फील्ड टेस्ट किट में एक निर्देश पुस्तिका, टेस्ट ट्यूब्स, प्लास्टिक बीकर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जल परीक्षण सामग्री और संकेतक चार्ट है। एफटीके नौ मापदंडों अर्थात पीएच, क्षारीयता, कुल कठोरता, क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन और एच2एस के बारे में जल का परीक्षण करने में सहायक होती है। परीक्षण के लिए पीएच स्तर की अनुज्ञेय सीमा 7-9 है। अनुज्ञेय सीमा से अधिक के पानी का सेवन मुंह में बुरा स्वाद छोड़गा और यह श्लेष्म झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्षारीय परीक्षण के लिए 10 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। जल में क्षार की अनुज्ञेय सीमा 200 - 600 मिलीग्राम/लीटर है। इससे अधिक मात्रा होने पर कुपोषण और गैसीय जलन हो सकती है।

पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए, 10 मिलीलीटर पानी एक सिलेंडर में लिया जाता है और कठोरता बफर गोली के साथ मिलाया जाता

है। इसकी अनुज्ञेय सीमा 100 मिलीग्राम/लीटर है। अनुज्ञेय सीमा से कुछ भी अधिक होने पर स्वाद बदल सकता है, भोजन सही से नहीं पकता है और गैसीय जलन हो सकती है।

क्लोराइड का परीक्षण क्लोराइड इंडिकेटर टैबलेट को मिलाकर किया जाता है। पानी में क्लोरीन के लिए अनुज्ञेय सीमा 250 मिलीग्राम/लीटर है। पीने के पानी में अनुज्ञेय सीमा से परे धातु के पाइपों का संक्षारण और धातुओं की बढ़ी हुई मात्रा को देखा जा सकता है।

नाइट्रेट परीक्षण करने के लिए, 10 मिलीलीटर पानी में एक नाइट्रेट अभिकर्मक गोली डाली जाती है। गोली की प्रतिक्रिया देखने के लिए 6 मिनट तक प्रतीक्षा करें। अनुज्ञेय सीमा 45 मिलीग्राम/लीटर है। यदि नाइट्रेट का स्तर अनुज्ञेय सीमा से परे है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम और नाइट्रेट कार्सिनोजेनिक जोखिमों को देखा जा सकता है।

किसी भी पानी के नमूने में फ्लोराइड स्तर का परीक्षण करने के लिए फ्लोराइड अभिकर्मक की 15 बूंदों के साथ 4 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। अनुज्ञेय सीमा 1.5 मिलीग्राम/लीटर है। अनुज्ञेय



...और एक पहल

सीमा से अधिक फ्लोराइड होने पर दंत फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस, एनीमिया और गैसीय जलन हो सकती है।

पीने के पानी में आयर्न स्तर का परीक्षण करने आयर्न अभिकर्मक की कुछ बूंदों और 15 मिनट की प्रतीक्षा की जरूरत पड़ती है। पानी में अनुज्ञेय सीमा 0.3 मिलीग्राम/लीटर है, जिससे अधिक होने पर पानी का स्वाद और पेट खराब हो जाता है तथा गैसीय जलन हो सकती है।

अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन परीक्षण के लिए ओटी अभिकर्मक की 2-3 बूंदों की आवश्यकता होती है। पानी में अनुज्ञेय सीमा 0.2-0.5 मिलीग्राम/लीटर है। अधिक क्लोरीन से अस्थमा, त्वचा रोग और कभी-कभी मूत्राशय में कैसर हो सकता है।

अंत में, एच2एस परीक्षण करने के लिए, नमूने को 30-37 डिग्री के बीच तापमान में गर्म स्थान पर रखा जाना चाहिए। इसे 24-36 घंटे के लिए छोड़ दें। निरीक्षण करें, अगर पानी का रंग काला हो जाता है तो यह पीने के लायक नहीं है और यह दस्त, हैजा, पेचिश, मतली, बुखार और मूत्रमार्ग में संक्रमण का कारण बन सकता है।

छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने दूषित पानी के दुष्प्रभावों के बारे में समझाने के लिए एफटीके प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

किया, जिसमें जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी महिलाओं की नियुक्त की गई। नई टीम और पंचायत प्रतिनिधियों को संदूषित जल के दुष्प्रभावों, पानी की गुणवत्ता की जांच कैसे करने की आवश्यकता और जल स्रोत को बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों तथा जल भंडारण के बारे में जानकारी दी गई। पंचायतों में एफटीके उपलब्ध कराने से आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण गांव में ही किया जा सकता है। ग्रामीणों को अब पीएचईडी के अधिकारियों का परीक्षण करने के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच करने हेतु इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

पाटन ब्लॉक के अंतर्गत सभी 122 ग्राम पंचायतों से पांच ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले फ्रंटलाइन कर्मचारियों में सरपंच, उप-सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता शामिल थे। प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया गया था। लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है और सुरक्षित पानी के उपयोग से स्वास्थ्य मानकों में कैसे सुधार होता है। दंतवाड़ा जिले में प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। इसी तरह, अन्य राज्यों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि हम जब मानसून के मौसम में पहुंचें और तब सभी महिलाओं को पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय पर रिपोर्ट करें। ■

उद्घाटन

श्री वांगकी लोवांग, पीएचई और डब्ल्यूएस मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 12/04/2021 को स्थानीय नेताओं, अधिकारियों, पीआर नेताओं तथा अन्य की उपस्थिति में किबिथू (सिनो-भारतीय सीमा पर भारत का पूर्ववर्ती भाग) में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुवई पीएचई एंड डब्ल्यूएस उप-डिवीजन द्वारा निर्माण की गई पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया।



स्मार्ट जलापूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली के विकास हेतु ग्रैंड चैलेंज

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन के साथ भागीदारी में आई सी टी ग्रैंड चैलेंज के माध्यम से 'स्मार्ट जलापूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली के विकास' हेतु एक प्रतिस्पर्धा की घोषणा की है।

ग्रैंड चैलेंज की कार्यान्वयन एजेंसी सी-डैक बेंगलुरु है और यह चुनिंदा प्रतिस्पर्धियों के प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के विकास हेतु तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इस प्रतिस्पर्धा को 15 सितंबर, 2020 में शुरू किया गया था। चुनौती में तीन चरण शामिल हैं:-

1. संकल्पना से प्रोटोटाइप चरण
2. प्रोटोटाइप से उत्पाद चरण और
3. उत्पाद नियोजन चरण

अंतिम चरण में जल जीवन मिशन द्वारा चिन्हित 100 स्थानों पर उत्पाद को नियोजित किया जाएगा।

विभिन्न एलएलपी कंपनियों, भारतीय स्टार्टअप और निजी व्यक्तियों द्वारा 218 आवेदन प्राप्त हुए थे। संकल्पना से प्रोटोटाइप चरण के बाद 10 भागीदारों को 2 महीने दिए गए थे जिसके बाद 8 से 10 फरवरी, 2021 के बीच सी-डैक द्वारा स्थापित जल जांच बेड पर उन्हें अपने उत्पाद का प्रदर्शन करना था।

आईसीटी ग्रैंड चैलेंज का परिणाम घोषित किया जा चुका है और निम्नलिखित चार भागीदारों को विजेता घोषित किया गया है:-

1. ग्लोबल एम से प्रभु चैतन्य गुंद्रा;
2. ग्रीनोवीरोमेंट इनोवेशन और मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वरुण श्रीधर;
3. राईडॉट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जिगर देसाई; और

4. एसबीईएम प्राइवेट लिमिटेड के संजय श्रीखंडे।


चुनौती के दिशानिर्देशों के अनुसार अगला चरण प्रोटोटाइप से उत्पाद चरण है, जिसके बाद क्षेत्र ट्रायल जांच और नियोजन हेतु तीसरा चरण चलाया जाएगा और अगले 1 महीने में प्रत्येक विजेता को 25 स्थानों पर अपने उत्पाद का प्रदर्शन करना होगा।

चरण 2 में सफलता हासिल न कर पाने वाले निम्नलिखित तीन भागीदारों को यह अवसर दिया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा जल जीवन मिशन के परामर्श से 25 गांव को अपनाकर उनमें बिना किसी वित्तीय सहायता के प्रो-बोनो आधार पर अपने उत्पाद का प्रदर्शन करें।

1. आईनेताकुआं सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रदीप थालापिल्ल;
2. लोनावती इन्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के कृष्ण चलम आरवीआर; और
3. टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कुनाल चक्रवर्ती।

अन्य तीन भागीदारों को भी यह अवसर दिया गया है कि वे बिना किसी वित्तीय सहायता के प्रो-बोनो आधार पर 5 गांव में अपने उत्पाद का विकास और नियोजन करें:

1. ऐक्वा वायरलेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के कनिष अग्रवाल;
2. कृष्णम टेक्नोलॉजी के श्रीहर्ष कारुमंची; और
3. रांड्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सीजो जोसेफ।



जल जीवन मिशन महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहा है और उनके जीवन में बदलाव ला रहा है

■ - विनोद मिश्रा, प्रमुख, वाश कार्यक्रम, भारत (यूएनओपीएस)

दिनांक 8 मार्च को जब विश्व, महिला दिवस मना रहा था, ग्रामीण भारत की कई महिलाएं इससे अनभिज्ञ दूर जाकर पानी लाकर अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त थीं। महिलाएं वास्तव में अपने परिवार की जल प्रबंधक हैं। पीने, खाना पकाने, स्नान के लिए, बर्तनों को धोने, सफाई आदि सभी चीजों के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। एनएसएस के 76 वें राउंड के सर्वेक्षण के अनुसार तकरीबन 42% ग्रामीण महिलाएं प्रतिदिन पेयजल ढो कर लाती हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी कम से कम 0.2 किलोमीटर (30.4% परिवारों में) से लेकर 1.5 किलोमीटर (0.5% परिवारों में) होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिदिन महिलाएं 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके जल लाती हैं (प्रमुख जल स्रोतों तक जाने और वहां से लौटने की दूरी मिलाकर)। वार्षिक रूप से यह दूरी प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर से अधिक है।

हालांकि अब बदलाव आ रहा है। ऐसा तभी संभव हो सका जब जल जीवन मिशन के केंद्र में महिलाओं को रखा गया जिसपर हाल ही में कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल दिया था। जल जीवन मिशन का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण भारत में सदियों से महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किए जा रहे इस कठिन परिश्रम को खत्म करना भी था।

पानी लाने कि इस यात्रा के तीन प्रमुख मुद्दे हैं। जिस जल को ढोया जाता है उसे प्राप्त करने की दूरी, समय और भार। भारतीय महिलाएं आमतौर पर पानी एकत्रित करने और उसकी ढुलाई में 1 दिन में 6 बार आती जाती हैं। प्रत्येक ट्रिप में लगभग 15 लीटर जल ढोती हैं। अतः औसतन 1 दिन में 90 लीटर जल ढोती हैं। वे अपने सर पर पानी के घड़े और बाल्टियां ढोती हैं। जल स्रोत से उनकी दूरी अधिक भार पैदा करती है, जिससे उन्हें कमर, पैर और अन्य शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। गर्मी से

उनकी थकान और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा, परिणामस्वरूप उन्हें अन्य कामों के लिए भी कम समय बच पाता है। पुरुष तभी यह काम अपने सर पर लेते हैं जब महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं; अन्यथा नहीं। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि माहवारी के दौरान महिलाओं तथा लड़कियों को कितना अधिक दर्द और असमर्थता का सामना करना पड़ता होगा। इसके अलावा प्रसूति महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं तथा लड़कियों के विषय में भी सोचने की जरूरत है। सोचें कि उनके लिए यह कार्य कितना कठिन होगा। जल जीवन मिशन महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहा है जिस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन लड़ा था। जल जीवन मिशन गांव के प्रत्येक परिवार तक पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु समर्पित है। शौचालय और जल दोनों सभी के लिए और विशेषकर महिलाओं के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त जल प्राप्त होने का अर्थ यह है कि अब महिलाएं और लड़कियों को दूर जाकर पानी ढोने में व्यतीत होने वाले घंटों के दैनिक कठिन कार्य से छुट्टी मिल जाएगी। अब वे इस समय का सदुपयोग अन्य तरीकों से कर सकेंगे जैसे कि लड़कियां अब अपने स्कूलों में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर पाएंगी। उन्हें पानी लाने के लिए हैंडपंप पर लाइन लगाकर खड़े रहने का भार नहीं होगा। कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जलापूर्ति सहित अपने शौचालय के पास ही हाथ धोने की सुविधा मौजूद होने से उन्हें माहवारी के दौरान अब्जॉर्बेंट सामग्रियों के निपटान के बाद हाथ धोने में सुविधा होगी और दूर जाकर पानी लाने की समस्या नहीं पैदा होगी। इससे नवयुवतियों और महिलाओं का माहवारी संबंधी निजी साफ-सफाई प्रबंधन भी आसान हो सकेगा।

महिलाओं के पास अब जो समय बचेगा उसका उपयोग वे गांव की बैठकों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेकर और गांव की जल आपूर्ति प्रणाली को वास्तविक रूप से समझने में कर सकती है। वह अपनी सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर उनमें मौजूद कौशल का विकास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे सकती हैं। वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने से उनका स्वाभिमान भी बढ़ेगा क्योंकि अब वे अपने परिवार को वित्तीय योगदान देने वाली एक सदस्य बन जाएंगी। सुरक्षित पेयजल का अन्य अर्थ यह भी है कि इससे जल जनित बीमारियों की संख्या में कमी आएगी जिससे डॉक्टरों और दवाइयों पर खर्च होने वाले धन में कटौती होगी और बच्चे स्कूलों में कम अनुपस्थित होंगे।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे वे जल स्रोत में किसी भी प्रकार के रसायन अथवा जैविक संदूषण होने पर तुरंत प्राधिकरण को सूचित कर सकेंगे। स्वच्छता की निगरानी करने हेतु भी उनका क्षमता संवर्धन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के वास्तविक अथवा संभावित सुष्मजीवाणु संदूषण की पहचान हेतु जल आपूर्ति सुविधाओं का स्वस्थाने निरीक्षण किया जा सकता है। इस सूचना का उपयोग उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के निर्धारण हेतु किया जा सकता है, जिससे पेयजल स्रोत और आपूर्ति प्रणाली का संरक्षण और विकास हो सकेगा। महिलाओं को मिस्त्री, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे गांव की जलापूर्ति प्रणाली का दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

वे कहती हैं कि उन्होंने जल को ढोया है वे प्रत्येक बूंद के मूल्य को समझती हैं। हमारे पास ग्रामीण भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो इस वास्तविकता को प्रतिदिन जीती हैं। वह अपने जल को स्वयं ढोती है और उसके मूल्य को समझती है, वे अब आगे बढ़ रही हैं और अपने गांव में जलापूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और रखरखाव का भार स्वयं उठा रही हैं। आइए हम महिलाओं और जल को एक साथ लाकर नया इतिहास रचें। समय के साथ नया परिवर्तन होगा। है कि नहीं?

जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण: ग्रामीण समुदायों की भूमिका

■ - सुमित प्रियदर्शी, सहायक सलाहकार, पी.एच.ई.डी, डी.डी.डब्ल्यू.एस

जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ हद तक अनेक प्रकार के द्रवों और सूक्ष्म जीवाणुओं को घोलने की अद्वितीय क्षमता है। यह द्रव्य अथवा सूक्ष्म जीवाणु खनिज, गैस, बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य कोई भी हो सकते हैं जो औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि वाशआउट, मल संदूषण आदि से निकलते हैं। स्वच्छता की स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, माहवारी संबंधी व्यक्तिगत साफ-सफाई, बीमारियों के प्रसार का रोगधाम तथा नियंत्रण और वातावरण की समग्र स्वच्छता को बनाए रखने का सीधा असर स्वच्छ और पर्याप्त जल की उपलब्धता पर पड़ता है।

जब गर्मियों का मौसम आता है भूजल स्तर कम होने लगता है जिसके कारण कई जल स्रोत जैसे कि ट्यूबवेल, हैंड पंप, खुद कुएं आदि में भूजल स्तर कम हो जाता है और वे खराब हो जाते हैं। कुछ स्रोत पूर्णतया सूख जाते हैं, कुछ मशीनों द्वारा चलाए जाने वाले स्रोतों में अधिक समय लगने से

मशीनें खराब हो जाती है। जब स्रोत पूर्णतया सूख जाते हैं तो जलदाय स्तर में जैविक संदूषणों की सघनता में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। यही समय है जब जल स्रोतों के रसायन और सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी संदूषणों की जांच आवश्यक हो जाती है क्योंकि इस समय सबसे अधिक संदूषण पाए जाते हैं। विशेषकर जल गुणवत्ता प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जहां जियोजेनिक संदूषण की अधिकतम सीमा पहले ही आ चुकी होती है। गर्मियों के दौरान पाइप सूख जाते हैं और उनके सूखने और गीले होने से जो घर्षण होता है उसके कारण पाइप में दरारें पैदा हो जाती है और वे रिसने लगते हैं। पाइपलाइन में रिसाव जल की बर्बादी के अलावा संदूषणों के पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है।

दस्त अथवा जल-जनित किसी भी प्रकार की बीमारियों के फैलने को रोकने के लिए अधिक मात्रा में क्लोरीन डालकर संदूषणों को हटाने का उपाय अपनाया जाता है, जिसके कारण उपयोग

किए गए ब्लीचिंग पाउडर से जल से दुर्गंध आने लगती है और उससे गैस्टिक, इरिटेशन अथवा जलन पैदा होने लगती है। ऐसे कठिन समय में जल की कमी हो जाती है जिसके कारण जल भंडारण बढ़ने लगता है ताकि पानी लाने और लाइन लगाने में अधिक समस्या न हो। तथापि जब पेयजल का असुरक्षित रूप से भंडारण किया जाता है तो इससे भी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने लगते हैं।

जब लगता है कि गर्मी/सूखा खत्म होने वाला है और वर्षा ऋतु आने वाली है तथा ठोस, तरल और मल अपशिष्ट के प्रबंधन की उचित व्यवस्था की कमी के कारण अथवा जलापूर्ति परियोजनाओं के अनुचित प्रबंधन के कारण अथवा अस्वस्थ स्थितियों के कारण जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दे और स्वास्थ्य के पहलुओं पर अधिक भार बढ़ने लगता है तब जलापूर्ति परियोजनाओं की जांच की जाती है। एक बार वर्षा ऋतु आने से पूर्व और फिर वर्षा ऋतु आने के बाद ताकि सूक्ष्म जीवाणु के संदूषण का आकलन किया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके की आपूर्ति जल में कोलीफॉर्म या इंटरोबैक्टीरिया न हो।

मानव संसाधन की अपर्याप्त उपलब्धता अर्थात् आरडब्ल्यूएसएस विभाग अथवा पीएचईडी विभाग में विभागीय कर्मचारियों की औसतन कमी के कारण जिसके अधीन 100 से 150 गांव आते हैं यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि वे सभी गांव की समस्या का समाधान एक साथ कर सकें। ऐसी परिस्थिति में समुदाय, जलापूर्ति सेवाओं को अपने हाथों में लेकर दैनिक आधार पर इसके निगरानी और प्रचालन का भार उठाते हैं।

स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का यह सबसे उत्तम तरीका है। लोगों को संभावित स्रोतों के विषय में उचित सूचना प्राप्त होनी चाहिए और संदूषण के प्रभाव तथा जल संरक्षण और रक्षण पर स्थानीय समुदाय का पुनर्विन्यास करना चाहिए और साथ ही साथ नियमित अंतराल पर स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा इसकी निगरानी और सर्वेक्षण की जानी चाहिए। हालांकि, जल गुणवत्ता निगरानी विभाग प्रयोगशालाओं में नियमित और प्रणाली बद्ध तरीके से जल गुणवत्ता जांच से संबंधित है। जल



अंतर्दृष्टि और विचार

गुणवत्ता सर्वेक्षण का अर्थ है क्षेत्र जांच किट (एफटीके) और स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा पेयजल गुणवत्ता का परीक्षण करना। स्वच्छता सर्वेक्षण में जल आपूर्ति प्रणाली के आसपास स्व-स्थाने मौजूदा तथा संभावित गुणवत्ता जोखिम और खतरों का परीक्षण किया जाता है। एफटीके एक साधारण उपकरण है जिससे जल गुणवत्ता मानकों की सांकेतिक और मात्रात्मक जांच संभव है जैसे कि खारापन, पीएच, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, कोलीफॉर्म आदि। ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी द्वारा नियमित आधार पर एफटीके का उपयोग करके स्रोतों तथा सेवा आपूर्ति स्थलों पर जल गुणवत्ता का आकलन किया जाना चाहिए।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत और /अथवा इसकी उप समिति जैसे कि वीडब्ल्यूएससी, पानी समिति, उपभोक्ता समूह आदि को एफटीके/ एचटूएस वायल का उपयोग करके जल गुणवत्ता जांच करने हेतु स्थानीय समुदाय की 5 महिलाओं को चिन्हित कर प्रशिक्षित और नियोजित करना चाहिए ताकि वे परिणामों की सूचना दे सकें। यदि कोई मानक स्वीकृत सीमा से अधिक पाया जाता है तो उस जल नमूने को पुष्टि हेतु जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत समुदाय जल को ब्लॉक, उप मंडलीय अथवा जिला स्तर की प्रयोगशालाओं में भी नाम मात्र दरों पर जांच हेतु भेज सकते हैं। इसके अलावा, मिशन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों अथवा

डिग्री कॉलेज विज्ञान छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में नाम मात्र मानदेय पर जल जांच हेतु नियोजित करें। विभिन्न आईईसी/ बीसीसी उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदाय कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को सहायता दे सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि ज्यादातर घरेलू कार्य जल से जुड़े होते हैं तथा महिलाओं द्वारा किए जाते हैं अतः जलापूर्ति परियोजना और साथ ही साथ जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण की आयोजना और कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। केवल पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं की ही नहीं बल्कि मौजूदा स्रोतों की भी निगरानी का कार्य वे कर सकती हैं। जल गुणवत्ता निगरानी करने वाले समूह तथा स्वच्छता सर्वेक्षण करने वाले समूहों को भी जलापूर्ति नेटवर्क, जिसमें मौजूदा तथा पुरानी संरचनाएं शामिल हैं, की जानकारी होनी चाहिए जोखिमों

का आकलन किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के दौरान इसके लिए समुदाय से परामर्श किया जा सकता है और प्राप्त परिणामों को ग्राम सभा में भागीदारी पूर्ण चर्चा और आवश्यक मध्यवर्तन हेतु सामने लाया जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण और जल गुणवत्ता निगरानी के परिणामों को उपाय तथा व्यापक परिचालन हेतु विभाग को सूचित करना चाहिए और साथ ही साथ समय सीमा के भीतर उपयुक्त उपाय निकाला जाना चाहिए।

चूंकि अब जल जीवन मिशन ने गति पकड़ ली है अतः जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/ उन्नयन को बढ़ाने और तदुपरांत उनका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत अनुकूल बनाने हेतु एनएबीएल प्रत्ययन आवश्यक है। जांच तथा अनुपालन हेतु यह एक नई शुरुआत है जिससे जल गुणवत्ता जांच में आमूलचूल परिवर्तन होगा तथा स्थानीय समुदाय सशक्त बनेगा।



हमारी प्राथमिकता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातीय बहुल गांव, डीपीएपी और एसएजीवाई गांव में एफएचटीसी उपलब्ध कराई जाय।

■ - श्री विकास लबरू, सचिव, हिमाचल प्रदेश

?1 हिमाचल प्रदेश राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति के संबंध में बताएं?

हिमाचल प्रदेश में कुल 17.03 लाख परिवारों में से 13.02 लाख परिवारों (76.44%) में नल जल कनेक्शन मौजूद है। वर्ष 2020-21 में लगभग 3.80 लाख एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए हैं और 3 जिलों, 11 ब्लॉकों, 827 पंचायतों तथा 7540 गांव को पूर्णतया कवर कर लिया गया है। लाहौल स्पीति, ऊना और किन्नौर 'हर घर जल जिले' बन चुके हैं। स्कूलों, एडब्ल्यूसी और आश्रमशालाओं में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु चलाए गए 100 दिनों के अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है, जिन्होंने यह कार्य पूर्ण कर लिया है।

जल गुणवत्ता सेक्टर में पर्याप्त बल दिया जा रहा है और अब तक 6 जिला स्तर की प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्ययन कराया जा चुका है। शेष 8 जिला स्तर की प्रयोगशालाओं को भी शीघ्र ही प्रत्यायन किया जाएगा। महिलाओं द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों को चलाने हेतु सभी ग्राम पंचायतों में क्षेत्र जांच किट वितरित किए गए हैं।

?2 हिमाचल प्रदेश को कार्य निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 221 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आप राज्य को उपलब्ध कराए गए इस वित्तीय संसाधन का किस प्रकार उपयोग करेंगे?

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत के तुरंत बाद ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जुलाई 2022 तक सभी परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। डीपीआर तैयार की गई, निविदाओं का निर्धारण किया गया और अब इन परियोजनाओं का कार्य अग्रिम चरण पर है। हमारी प्राथमिकता है कि इस वर्ष सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों, डीपीएपी और एसएजीवाई गांव में एफएचटीसी उपलब्ध कराया जाए। हमने यह भी योजना बनाई है कि वर्ष 2021-22 में चंबा के आकांक्षी जिलों में शत प्रतिशत कवरेज प्राप्त कर लिया जाए। हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारे कार्य निष्पादन की सराहना करते हुए उन्होंने यह प्रोत्साहन दिया है जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने में हम सफल हो सकेंगे।



?3 एमएसएल से लगभग 15000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति जिले के ताशीगंज में घरेलू नल जल कनेक्शन सुनिश्चित किया गया है। राज्य अन्य ऐसे दुर्गम तराइयों तक पहुंचने की और क्या योजना रखता है?


15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा निर्वाचन क्षेत्र ताशीगंज में केवल 6 परिवार हैं। अगस्त 2020 के मध्य में इन घरों तक पीने योग्य जल का चालू नल कनेक्शन लगाया गया। हम राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों तक एफएचटीसी उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। चाहे वह कितने भी सुदूर क्षेत्र में ही स्थित क्यों न हो। राज्य ने पहले ही किन्नौर और लाहौल तथा स्पीति जैसे दुर्गम जिलों में शत-प्रतिशत एफएचटीसी उपलब्ध करा दिया है। हमारे द्वारा हासिल इस अनुभव से लाभ लेकर चंबा जैसे अन्य दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने में सहायता मिल रही है जिसे हम इस वर्ष संपूर्ण करने की योजना बना रहे हैं।

?4 दुर्गम तराइयों और मौसम की परिस्थितियों के चुनौती के मध्य तथा कोविड-19 महामारी द्वारा कई गुना बढ़ गई चुनौती के मध्य राज्य जल जीवन मिशन का कठिन कार्य कर रहा है। राज्य किस प्रकार मौजूदा परिस्थिति में जल संबंधी मुद्दों को हल करने की योजना बना रहा है?

पूर्व योजना और समय पर खरीद से यह संभव हो सका है कि राज्य इन सभी चुनौतियों को पार कर सका है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई

क्षेत्र हैं जहां कार्य करने का मौसम सीमित रहता है ऐसे क्षेत्रों में श्रमिकों तथा सामग्रियों के नियोजन और कार्य ऋतु के पूर्व लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करके पहले से तैयारी की जा रही है। इससे समय पर कार्य पूरा हो सकेगा। राज्य ने सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है ताकि वहां जल संकट न हो।


?5 राज्य में कई बारहमासी जल स्रोत हैं। आप किस प्रकार ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा दीर्घकालीन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति परियोजनाओं के स्थायित्व हेतु जल स्रोतों के उपयोग और पुनरुद्धार की योजना रखते हैं?

 जलापूर्ति परियोजना में स्रोत स्थायित्व एक अति महत्वपूर्ण घटक है। मनरेगा एलएडी आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों से तालमेल करके इसे सहायता दी जाती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसडब्ल्यूएसएम ने वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा और एसबीएम-जी के अंतर्गत आरडीडी के तालमेल से कार्यान्वित की जा रही कार्यों की सूची तैयार करने हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किया है ताकि 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत पी आर आई को सशर्त सौंपी गई निधियों तथा अन्य परियोजनाओं की निधियों को उचित रूप से जल तथा स्वच्छता हेतु उपयोग किया जा सके।

आपूर्ति पेयजल की गुणवत्ता और मात्रा का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को विभिन्न पीडब्ल्यूएस परियोजनाओं के प्रचालन एवं रख-रखाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कोविड-19 के

बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 महिलाओं का चयन करके उन्हें जल गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें एफटीके का उपयोग भी शामिल है। अब तक 3248 ग्राम पंचायतों में 16243 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और महिला समूह बनाया गया है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है की जल जीवन मिशन में पंचायती राज संस्थानों/ वीडब्ल्यूएससी की भूमिका पर पंचायती राज संस्थानों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए जिसके लिए अगले कुछ महीनों के भीतर 28000 पीआरआई कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है।

?6 राज्य में सामुदायिक नियोजन का क्या स्तर है और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में ग्राम समुदायों की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करने हेतु आप क्या कर रहे हैं?

 राज्य के कुल 3615 ग्राम पंचायतों में से 3213 ग्राम पंचायतों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का गठन हो चुका है। शीघ्र ही शेष ग्राम पंचायतों में भी वीडब्ल्यूएससी का गठन हो जाएगा। समुदायों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए विश्व जल दिवस 22 मार्च, 2021 को राज्य भर में एक विशेष ग्राम सभा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु ग्राम कार्य योजना प्रस्तुत की गई। सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 21 आईएसए को सूचीबद्ध किया गया है ताकि लाभार्थियों में स्वामित्व की भावना बढे और गांव की जलापूर्ति अवसंरचना के प्रचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी लेने हेतु वे तैयार हों।



जल जीवन मिशन, जिंदगियाँ बदल रहा है

■ - श्री आर.आर. रावल, जिला कलेक्टर, वलसाड, गुजरात

गुजरात के कस्तूनिया गांव में जल टैंकों के आसपास सुबह-सुबह होने वाला कोलाहल अब महिलाओं तथा बच्चों की किलकारियाँ और हंसी में बदल गया है, और अब वे अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने लगे हैं। अब परिवारों के पास नल से स्वच्छ जल का कनेक्शन मौजूद है और इससे महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो गया है। जल जीवन मिशन ने न सिर्फ इन गांव वालों के दैनिक जीवन को बदला है बल्कि यह यहां के समाज में लैंगिक समानता उत्पन्न करने में भी उत्प्रेरक बना है। गांव की महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और अब उनके पास अधिक समय रहने लगा है जिसका उपयोग वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और समाज में अपनी एक पहचान बनाने में कर रही हैं।

यह गांव गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है जिसकी पहाड़ी और असमतल भूमि के कारण भूजल की कमी बनी रहती है जबकि यह दक्षिणी गुजरात का चेरापूजी कहा जाता है। कुछ महीनों पहले यहां गर्मियों का मौसम अत्यधिक दुख भरा होता था विशेषकर महिलाओं के लिए। हालांकि गांव में 3 खुले कुएं और 5 हैंडपंप हैं परंतु गर्मियों में भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है जिससे सारे जलस्रोत सूख जाते हैं। महिलाओं और बच्चों को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी लाना पड़ता था और वह भी चिलचिलाती धूप में। गांव वाले बहुत हद तक राज्य

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जल टैंकर पर निर्भर रहते थे।

जब से सरपंच मीता बेन ईश्वरबाई तुमडा ने गांव के विकास का कार्य अपने हाथों में लिया तब से गांव की स्थिति में काफी बदलाव आ गया। गांव में पानी समिति का गठन किया गया, जिसने सर्वेक्षण किया और गांव वालों तथा जल विशेषज्ञों से कई बार चर्चा करके गांव के क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नए खुले कुएं के माध्यम से गांव में जल लाने का जनमत प्राप्त किया गया।

उस खुले कुएं के आसपास भू-स्तर 99.79 मीटर है जिसमें 20 हॉर्स पावर का मोटर लगाकर और 1100 मीटर लंबा 80 मिली मीटर डायमीटर का जीआई पाइप लगाकर सम्प (हौदी) से 256.51 मीटर स्तर तक पानी निकाला जा सकता है। यह सम्प 512 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सम्प से भू-स्तर पर टैंक भरा जाता है और फिर इस सम्प से 141 परिवारों तक नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। इस परियोजना का प्रचालन एवं रखरखाव डब्ल्यूएसएमओ और गांव के प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

गांव वालों और राज्य प्राधिकरण के समेकित प्रयासों से कस्तूनिया गांव में अब बेहतर जल अवसंरचना और सुविधा उपलब्ध है। ■



मालदा के स्कूलों और आंगनवाड़ियों में जल गुणवत्ता जागरूकता अभियान

■ - प्रज्ञान भारती और अन्वेषा दत्ता, यूनिसेफ-पश्चिम बंगाल

“लॉकडाउन के दौरान स्कूलों और आंगनवाड़ियों से पानी के नमूने एकत्र करना काफी चुनौतीपूर्ण था” मानिकचक ब्लॉक के चौकी मिर्दापुर ग्राम पंचायत के पानी के सूत्रधार रबीउल इस्लाम ने यह बात कही। पश्चिम बंगाल में जल सुविधाकर्ताओं या 'जल बंधुओं' के नाम से पुकारे जाने वाले कार्यकर्ताओं ने मालदा, पश्चिम बंगाल की 146 ग्राम पंचायतों (जीपी) में अक्टूबर-नवंबर, 2020 के दौरान आयोजित एक विशेष अभियान में भाग लेकर औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कोविड-19 लॉकडाउन और बाद में जल गुणवत्ता के नमूने एकत्रण प्रक्रिया पर प्रभाव के संदर्भ में, जिले के सबसे कमजोर जल गुणवत्ता वाले ब्लॉक का विश्लेषण करने के लिए यूनिसेफ द्वारा जिला प्रशासन मालदा को कार्य सौंपा गया था। जून, 2020 में उपलब्ध जल गुणवत्ता परीक्षण परिणाम लॉकडाउन के दौरान एकत्र किए गए नमूनों की बहुत कम संख्या के कारण अपर्याप्त थे। इस पृष्ठभूमि में, यूनिसेफ ने एक जिला व्यापी गुणवत्ता निगरानी योजना के विकास के

समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित/ कमजोर स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और संदूषित जल स्रोतों वाली बसावटों की पहचान करने, सबसे अधिक प्रभावित पेयजल स्रोतों वाले संस्थानों की पहचान करने के साथ-साथ उपचारात्मक कार्यवाई योजना तैयार करने के लिए एक विशेष अभियान मोड के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि इसे वार्षिक ग्राम पंचायत आयोजना प्रक्रिया में एकीकृत किया जा सके। इस प्रकार यह स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में महामारी के बाद सुरक्षित पीने के पानी के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। पानी की गुणवत्ता परीक्षण ड्राइव के डेटा विश्लेषण से यह पता चला है कि कालियाचक-I ब्लॉक लौह और आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रभावित था, कालियाचक- III और चंचल-I ब्लॉक पूर्ण कॉलिफॉर्म से प्रभावित थे जबकि रतुआ-I ब्लॉक ई-कोली से प्रभावित था। संदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों की गई हैं।

जल गुणवत्ता निगरानी नमूना संग्रहण से ग्राम पंचायत स्तर पर लगे जल सुविधा प्रदायकों की वर्तमान स्थिति, साइकिल, आईडी-कार्ड और स्मार्टफोन जैसे आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ उपलब्धता की मैपिंग की जा सकती है ताकि वे पानी के नमूनों और स्रोतों को आसानी से इकट्ठा कर सकें और उसे जियोटैग कर सकें, इसमें क्रमशः, नियमित रूप से अनुगामी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण और उन्मुखी कार्यक्रम सुनिश्चित करना, नमूना एकत्रण और जल परीक्षण के लिए वार्षिक कैलेंडर विकसित करना और स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और बसावटों में पानी की गुणवत्ता परीक्षण के कवरेज में वृद्धि करना शामिल हैं।

जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्रोतों की सामुदायिक निगरानी को मजबूत करके सूचना शिक्षा संचार (आईईसी)/ व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी), विलेज हेल्थ सैनिटेशन एण्ड न्यूट्रिशन कमिटी (वीएचएसएनसी) और अन्य सामुदायिक मंचों के साथ जुड़ाव, निगरानी हेतु स्कूलों की उच्चतर भागीदारी (उच्च माध्यमिक और विज्ञान के शिक्षक) और नमूनों का स्थानीय परीक्षण, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में सामुदायिक जल गुणवत्ता निगरानी और आयोजना में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को उन्मुख करना तथा जागरूकता योजना तैयार किया जाना।

निकटतम पाइपगत जलापूर्ति योजना से स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और बसावटों के लिए पाइपगत जल कनेक्शन को विस्तारित करने के लिए दीर्घकालिक समाधान, जिला सरकार के कई सरकारी विभाग के साथ बातचीत करना ताकि जिला परिषद/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत में उनके 15वें वित्त आयोग अनुदान में शामिल किया जा सके, संस्थानों में सुरक्षित जल आपूर्ति बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धनराशियों का अभिसरण और उसके उचित प्रचालन और रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। पीडब्ल्यूएस योजना के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की मैपिंग पीएचएडी द्वारा की जाएगी।

आगे की कार्यवाई के लिए एक सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की गई और जिला प्रशासन को भेजी गई।



जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का सत्यापन और समुदाय द्वारा निगरानी

■ - नागेश पाटीदार और पंकज माथुर, यूनिसेफ फील्ड ऑफिस, मध्य प्रदेश

जल जीवन मिशन (जेजेएम) पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ नियमित आधार पर ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। पानी की आपूर्ति की निगरानी, बीमारी के प्रकोप की जांच, जांच प्रक्रिया की प्रत्यायन और रोकथाम के उपायों के लिए जल परीक्षण महत्वपूर्ण है। स्रोत, वितरण प्रणाली के भीतर और उपभोक्ता स्तर पर पीने के पानी की गुणवत्ता तय करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। पीने के पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्वेक्षण अलग-अलग है, लेकिन संबंधित गतिविधियां काफी निकट से जुड़ी हुई हैं। पीएचएडी, समुदाय स्तर की जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित करने में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से पीने के पानी की गुणवत्ता की निगरानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मध्यप्रदेश में पीएचएडी के तहत कार्यरत 155 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। इसमें एक राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएँ, 51 जिला स्तर की प्रयोगशालाएँ और 103 उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाएँ हैं। ये प्रयोगशालाएँ जेजेएम कार्य संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य भर में पानी की गुणवत्ता की निगरानी की सहायता कर रही हैं। पीने के पानी के परीक्षण के कार्यक्रम को लागू करने के साथ, ये प्रयोगशालाएँ आम जनता के लिए मामूली शुल्क पर जल परीक्षण के लिए खुली हैं।

मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के समग्र निष्पादन को मजबूत करने के लिए कार्य यात्रा शुरू की। परीक्षण और प्रतिक्रिया के लिए मानक प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल से परीक्षण/अंशांकन में भरोसा का निर्माण, सेवा स्तर में वृद्धि और जल परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता पर आत्मविश्वास और संतुष्टि में सुधार हुआ है। मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर राज्य भर में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने का काम किया है। मानक सेवा स्तर को प्राप्त करने के लिए, सभी जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से आईएसओ/ आईईसी 17025:2017 के अनुरूप प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए कहा गया था। एनएबीएल परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता का तीसरा पक्ष मूल्यांकन प्रदान करता है। जल परीक्षण लैब का एनएबीएल प्रत्यायन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परीक्षण परिणामों की स्थिति प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश में डब्ल्यूक्यूएमएस के सुधार के परिणामस्वरूप प्रमुख मध्यवर्तन इस प्रकार हैं:

जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को मजबूत बनाना: एकीकृत खरीद की सुविधा के लिए पीएचएडी ने ग्लासवेयर और रसायनों जैसे उपभोग्य सामग्रियों के मानकों और विनिर्देश को विकसित और अंतिम रूप दिया है। इसने सुचारू और निर्बाध आपूर्ति को सक्षम बनाया है।

पीएचईडी अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करना: पीएचईडी द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियनों, इंजीनियरों और नमूना संग्राहकों सहित प्रमुख अधिकारियों की क्षमता निर्माण किया गया। प्रयोगशालाओं के अधिकारियों के लिए आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण ने प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे राज्य जल गुणवत्ता अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल और जिला प्रयोगशाला, रतलाम को प्रत्यायन प्राप्त हुआ। इस प्रत्यायन के कारण राज्य का विश्वास और बढ़ गया। इसके बाद, नवंबर 2017 में, आईएसओ/ आईईसी 17025: 2017 को लॉन्च किया गया और राज्य ने राज्य भर में गुणवत्ता निगरानी प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण शुरू किया।



राज्य जल जांच केन्द्र - मध्यप्रदेश

केस स्टडी

प्रयोगशाला आधारित अंतराल आकलन और सुधार योजना: व्यापक अंतर मूल्यांकन और सुधार योजना टेम्पलेट विकसित किया गया था, और श्रम शक्ति, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के क्षेत्रों में सभी प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला-वार अंतर मूल्यांकन और नियोजन पूरा किया गया। इस मूल्यांकन से प्रयोगशालाओं के भीतर सेवाओं के सुधार के लिए राज्य और जिला स्तर के कार्यों को भी सुविधाजनक बनाया गया और मानकों और खरीद प्रक्रियाओं के अद्यतन की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रक्रियाओं और प्रलेखन के लिए संचालन सहायता प्रदान करना: राज्य स्तर के तकनीकी संसाधन समूह और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों ने विशेषज्ञ प्रयोगशाला कार्यकारियों, अधिकारियों और यूनिसेफ द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी सलाहकार की तैनाती की। इस विशेषज्ञ समूह ने सेवाओं, अवसंरचना, प्रक्रियाओं और प्रलेखन में सुधार के लिए प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान की। इस पर्यवेक्षण ने संसाधन जुटाने के लिए जिला स्तर पर बातचीत करने और सामुदायिक स्तर पर नमूनाकरण और फीडबैक बढ़ाने का अवसर प्रदान किया।

पीएचएडी के अधिकारियों ने विश्वास बढ़ाने करने के लिए एनएबीएल के साथ आमने-सामने की बातचीत: 22 जनवरी, 2021 को सीईओ, एनएबीएल और अपर मुख्य सचिव, पीएचएडी, मध्य प्रदेश के साथ एक दिवसीय फेस-टू-फेस वार्ता आयोजित की गई ताकि पूरे राज्य में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के मानकों को बनाए रखने के लिए एक बोली आमंत्रित करते हुए एनएबीएल प्रत्यायन के लिए पीएचएडी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कार्यशाला से 80 से अधिक पीएचईडी अधिकारियों को प्रत्यायन प्रक्रियाओं और अधिक महत्वपूर्ण रूप से व्यावहारिक मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया।

प्रयोगशालाओं द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सामुदायिक स्तर पर पानी की गुणवत्ता निगरानी को जोड़ना: पीएचईडी सामुदायिक स्तर पर जल की गुणवत्ता निगरानी और प्रयोगशालाओं में पानी के परीक्षण को जोड़ने पर बल दे रहा है। पूरे राज्य में समुदाय के सदस्य विशेषकर महिलाओं और वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का कौशल निर्माण किया जा रहा है। राज्य, गांवों के स्तर पर फील्ड-परीक्षण किट के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसकी पुष्टि के लिए नजदीक के पानी की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में सकारात्मक परीक्षण किए गए नमूनों को भेजा जा रहा है; पेय जल से जुड़े उन कारकों की पहचान करने के लिए जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, का सेनेटरी निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे राज्य में जल गुणवत्ता के संबंध में स्कूलों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

जिला स्तरीय 50 प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयासों और पहल के कारण 94% मापदंडों में दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की गई। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला और जिला लैब रतलाम पहले से ही प्रत्यायन प्राप्त थे; अतिरिक्त 25 जिला प्रयोगशालाओं को 31 मार्च, 2021 तक एनएबीएल प्रोटोकॉल से प्रत्यायित किया गया है जो किसी भी राज्य द्वारा एक वर्ष में प्राप्त की गई संख्याओं में सबसे अधिक है।

मध्य प्रदेश ने जल परीक्षण में उच्च मानकों को प्राप्त करने और सभी के लिए सुरक्षित पानी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आम जनता के लिए प्रयोगशाला कामकाज की विश्वसनीयता लाने के जरिए जल गुणवत्ता निगरानी को बनाए रखने पर अपना ध्यान जारी रखा है। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण, स्रोत की सुरक्षा और घरेलू स्तर पर जल सुरक्षा व्यवहार राज्य में जल जीवन मिशन के तहत उठाए गए बड़े कदम हैं। ■





आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय जेजेएम की तीन टीमों ने 15-19 मार्च, 2021 के दौरान आंध्र प्रदेश के चित्तूर, प्रकाशम और पूर्वी गोदावरी जिलों का दौरा किया ताकि मुख्य-समस्याओं का समाधान करने, जमीनी स्तर की स्थिति को समझने, सर्वोत्तम कार्यों का पता लगाने में राज्य की टीम की सहायता की जा सके। टीमों ने गांव की योजनाओं, जल उपचार संयंत्रों, ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन की कवरेज के लिए राज्य की योजना आदि की जांच के लिए इन जिलों में 16 गांवों का दौरा किया। दौरा करने वाली टीमों ने देखा कि नवंबर महीने के बाद राज्य में प्रगति सराहनीय है। गांवों में सक्रिय महिला भागीदारी के साथ गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया था जिसकी नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती हैं और उसकी कार्यवाही उचित रूप से रखी जाती है। यह देखा गया कि कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है और गांव के लोग उन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षित महिला सदस्यों द्वारा गांवों में एफटीके परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है। राज्य ने ग्रामीण स्तर पर बहु-विषयक कर्मचारियों को शामिल किया है और कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए तीसरे पक्ष की निगरानी एजेंसी नियुक्त की है। टीमों ने राज्य से इन क्षेत्रों में शेष घरों में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के पुनर्परिवर्तन/ संवर्द्धन के कार्य करने का अनुरोध किया।



छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की छह सदस्यीय टीम ने 23-26 मार्च, 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों का दौरा किया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने रायपुर, दुर्ग और महासमुंद के संपूर्ण 3 जिलों में 23 गांवों और 2 प्रयोगशालाओं का दौरा किया। इस दौर का उद्देश्य जिले के अधिकारियों के साथ 100% रूप से पूर्ण एफएचटीसी और पीडब्ल्यूएस कवरेज की योजना, सहायता गतिविधियां, हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आईएमआईएस संबंधित मुद्दों आदि के बारे में चर्चा करना था। टीम ने गांवों/ बसावटों का दौरा किया और सामुदायिक भागीदारी और जेजेएम के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत/ वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों, ग्राम समुदाय के साथ-साथ पीएचएडी के अधिकारियों के साथ बातचीत की। टीम ने जिला अधिकारियों को स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप जलापूर्ति के तत्काल प्रावधान के बारे में भी प्रेरित किया।



DID YOU KNOW?



Don't keep the tap running while washing clothes/ utensils

Saves more than 50 Litres per day

यूएनओपीएस द्वारा फील्ड स्तर के कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश में 6-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

यूएनओपीएस द्वारा आयोजना संबंधी कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए स्रोत स्थिरता, पुनर्भरण, गंदले-जल प्रबंधन के जरिए पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और जल जीवन मिशन के अन्य पहलुओं पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 6-दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

सहभागी शिक्षण ट्रस्ट में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 राष्ट्रीय, 3 राज्य और 14 जिला सलाहकारों ने भाग लिया। रॉयल डेनिश दूतावास के पर्यावरण सलाहकार श्री साइमन एपेलब्लट ने उद्घाटन भाषण दिया। डब्ल्यूएसएमओ, वाटर एड, नॉलेज लिंक्स एण्ड यूएनओपीएस के विशेषज्ञों के साथ-साथ पूर्व पीएचईडी अधिकारियों द्वारा विभिन्न सत्र आयोजित किए गए जिसमें आयोजना और कार्यान्वयन/कार्यनीति, जेजेएम के कार्यान्वयन सहायता हेतु आवश्यक संस्थागत तंत्र, वित्तीय

योजना, क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर तकनीकी मध्यवर्तन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्वेक्षण, मूल्यांकन, आदि को शामिल किया गया।

6-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में पानी की कमी पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में बिगड़ती जल स्थिति पर प्रतिभागियों को समझाते हुए जल सुरक्षा और स्थायित्व पर एक सत्र आयोजित किया गया था। गंदले-जल मैनेजमेंट में सामुदायिक भागीदारी संबंधी विषयक सत्र आयोजित किया गया था, ताकि हर घर से निकलने वाले पानी का उपयोग वृक्षारोपण और भूजल पुनर्भरण में किया जा सके जिससे घटते जल स्तर का समाधान किया जा सके।

जल चौपाल की अवधारणा के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से बताया गया, ताकि

इसका उपयोग जल बजट तकनीक और समुदाय के बीच जल सुरक्षा के आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सके। प्रशिक्षुओं को भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और भागीदारी अधिगम और कार्रवाई (पीएलए) का उपयोग डेटा संग्रह के लिए किए जाने के बारे में बताया गया था। बाद में प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित किया गया और इन दो उपकरणों का उपयोग करके मैपिंग अभ्यास कार्य सौंपा गया।

एक विशिष्ट सत्र में सभी गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पानी की जांच के संबंध में विस्तार से बताया गया। जेजेएम दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य रूप से सभी जल स्रोतों और मानसून पूर्व और पश्चात पानी के परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने संबंधी प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

श्री विनोद मिश्रा, वाश प्रमुख, यूएनओपीएस इंडिया ने "एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्शन प्लानिंग" पर एक सत्र आयोजित किया, जबकि श्री रॉबर्ट चेम्बर्स ने "एक विकास पेशेवर के रूप में अतीत से सीखें" पर एक आभासी सत्र आयोजित किया। सामुदायिक स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता समिति की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई और इस पर भी चर्चा की गई कि पंचायत स्तर पर उप-समिति पूर्व आयोजना, योजना, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद के चरण में उत्प्रेरक के रूप में कैसे काम करती है। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के वितरण के साथ प्रशिक्षण समाप्त हुआ।

इस समय प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन का तीसरा वर्ष प्रारंभ हो रहा है। राज्यों/संघ क्षेत्रों के योजनागत लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए जमीनी स्तर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है।



जल जीवन मिशन: एक सामाजिक क्रांति की ओर

ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम, एक नागरिक संगठन द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए जल राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने सुरक्षित पेयजल की कमी जैसे सामान्य मुद्दों को हल करने में ब्रिक्स देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री कटारिया ने केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया, जो वर्ष 2017-18 में पानी के सुखने वाला पहला प्रमुख शहर बन गया। उन्होंने ब्राजील के बारे में यह उल्लेख किया कि जहां लगभग 3 मिलियन आबादी के पास अभी भी सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच नहीं है। दूसरी ओर रूस में दुनिया की स्वच्छ सतही जल और भूजल संसाधनों का 1/4वां हिस्सा है और घरेलू उपयोग के लिए अपने नागरिकों को 248 एलपीसीडी पानी उपलब्ध कराता है।

श्री कटारिया ने कहा कि जारी महामारी ने भूख और गरीबी और जल की कमी जैसे वैश्विक संकट को बढ़ा दिया है। उन्होंने लोगों को किसी भी सरकार के एक अपरिहार्य कर्तव्य और यूएनजीए संकल्प 64/292 में एक मानव अधिकार के रूप में निहित के रूप में लोगों को सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करने को परिभाषित किया।

श्री कटारिया ने बताया कि सुनिश्चित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के वास्तविक महत्व को समझते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपयुक्त जल आपूर्ति के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 3.60 लाख करोड़ रुपये का कुल परिव्यय (48 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रखा गया है। श्री कटारिया ने बताया कि 1 से डेढ़ साल की अवधि में, भारत ने ग्रामीण घरों में 40 मिलियन से अधिक नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। इस गति से, समय सीमा के भीतर सभी ग्रामीण परिवारों को अच्छी तरह से कवर करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है।

राज्य मंत्री जल शक्ति ने कहा कि जल जीवन मिशन का परिणाम घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने तक सीमित नहीं हो सकता है क्योंकि यह हर घर में एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत कर रहा है-जाति, पंथ या धर्म पर ध्यान दिए बिना एक समावेशी दृष्टिकोण के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उन महिलाओं के कड़े श्रम को कम कर रहा है जो अपने परिवारों के लिए पानी पाने के लिए लंबी दूरी तय करती थीं। असल में, ग्राम स्तर की समितियों का गठन किया गया है ताकि वे उनके संबंधित गांवों के लिए जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए योजना तैयार कर सकें। ऐसी समितियों में महिलाओं के लिए 50% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह महिलाओं को जल प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा।



श्री रतन लाल कटारिया, जल राज्य मंत्री

इस मिशन में जल नेटवर्क के बुनियादी ढांचे जैसे पाइप, नल, पानी के पंप, भंडारण टैंक, आदि में एक बड़ा निवेश शामिल है और इस प्रकार राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर आदि जैसे कुशल/ अर्ध-कुशल कारीगरों की एक बड़ी मांग पैदा होगी।

श्री कटारिया ने यह उल्लेख किया कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रों से सरकार के स्तर पर और साथ ही नागरिक संगठनों के बीच जल क्षेत्र में होने वाली नवीन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए भी आह्वान किया। यह पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करने के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। अंत में, उन्होंने ब्रिक्स को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव वाला और समानता, विश्वास, आपसी समझ के सिद्धांतों पर निर्माण के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संघ के रूप में परिभाषित किया।

इस वेबिनार में अन्य के साथ-साथ प्रोफेसर प्रिंस विलियम मिशिकी, डीआर कांगो के माननीय मंत्री, द इंटरनेशनल बिजनेस एक्सेलरेशन सेंटर, रूस के सह-संस्थापक यूलिया बर्ग, पूर्णिमा आनंद, अध्यक्ष, ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम, इंडो-रशियन यूथ क्लब के इंटरनेशनल फेडरेशन, इकोनॉमिक डेवेलपमेंट एण्ड फॉरेन ट्रेड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड (जर्मनी) के फॉरेन ट्रेड फेडरल एसोसिएशन के सलाहकार, वोल्कर त्वपके शामिल थे। भारत, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 13वें सम्मेलन का अध्यक्ष देश है और ब्रिक्स देशों को एकजुट करने वाले सामान्य लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है। ■

हर घर जल संवाद



छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव में रहने वाली महिलाओं द्वारा संसाधन मैपिंग कार्य

“ जल जीवन मिशन ने ग्रामीण घरों में पीने के पानी की व्यवस्था के संदर्भ में अपनी उपलब्धि के माध्यम से पूरे देश की अवधारणा को कैप्चर किया है, जिससे उनके जीवन में सुधार हुआ है। मिशन की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी से पानी को जन-भागीदारी बनाने की अपील की।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
संसद में बजट सत्र के दौरान

”

फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें



Jal Jeevan Mission, India



@jaljeevan_



Jal Jeevan Mission



@jaljeevanmission



jjm.gov.in



Jal Jeevan Mission

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

नई दिल्ली – 110003

ई-मेल: njjm-ddws@gov.in

प्रधान संपादक: भरत लाल, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एनजेजेएम

संपादक: मनोज कुमार साहू, निदेशक

संपादकीय टीम: रचना गहिलोट बिष्ट, देविना श्रीवास्तव, अमित कुमार रंजन, स्फूर्ति कोलिपाका, अरपन दे सरकार • डिजाइन: नेहा अंजलि और आरीफ खान

@जलजीवनमिशन- 2021